176 उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों के लिए मजदूरी वार्ता जिन्होंने 1.1. 97 से प्रभावी पांच वर्षीय मजदूरी वार्ता का चयन किया है।

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर लोक उद्यम विभाग के तारीख 14.1.99 और 26.7.2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन देखें और बताएं कि उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए छठे दौर के मजदूरी वार्ता के लिए पैरामीटर/मानदंड लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं जिन्होंने 1.1.97 से प्रभावी पांच वर्षीय मजदूरी वार्ता अवधि का चयन किया है।

2. सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के मजदूरी वार्ता और पांच वर्ष के मजदूरी वार्ता अवधि के हकदार होंगे जिन्होंने छठे दौरे में पांच वर्ष के मजदूरी वार्ता अवधि का विकल्प चुना था, निम्नलिखित शर्तो पर उद्यमों के प्रबंधन द्वारा मजदूरी वार्ता प्रारंभ किया जा सकता है:–

(i) संबंधित उद्यमों द्वारा संसाधनों द्वारा संसाधनों/लाभों को उत्पन्न करने के साथ एकरूप करने को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वेतन संशोधन के संबंध में न्यायाधीश मोहन समिति की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन ढांचे संबंधी वार्ता करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) सरकार द्वारा मजदूरी वृद्धि के लिए किसी प्रकार की बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए, जिसके पास एकाधिकार या एकाधिकारों के नजदीक या प्रशासित कीमत तंत्र के अधीन प्रचालन करने की क्षमता है, उसे अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने चाहिए कि वार्ता के बाद मजदूरी में किसी प्रकार की वृद्धि के परिमाणस्वरूप उसके सामानों और सेवाओं की प्रशासित कीमतों में वृद्धि नहीं होगी।

(iv) मजदूरी में संशोधन इन शर्तों पर किय जाएगा कि आउटपुट के प्रति भौतिक यूनिट के श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। कुछ अपवाद हो सकते हैं, जहां यूनिटें अपनी इष्टतम क्षमताओं में पहली से ही कार्यरत हैं और इस प्रकार वे उद्यम के वृहत मानकों को स्वीकार करती हैं। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग लोक उद्यम विभाग से संपर्क कर सकता है।

(v) बी आई एफ आर के यहां पंजीकृत बीमार इकाइयों के संबंध में, जब तक बी आई एफ आर ऐसे उद्यमों के पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित नहीं कर देता, इस प्रकार के प्रावधानों को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए बनाया गया है, इस प्रकार के उद्यमों के श्रमिकों के लिए वेतन संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) 6550/रू. तक के मासिक मूलवेतन पाले वाले श्रमिक मूलवेतन के 100 प्रतिशत पर महंगाई भत्ता के निष्प्रभावीकरण के लिए हकदार होंगे और जो 6550/–रू. प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे महंगाई भत्ते के 75% निष्प्रभावीकरण के लिए हकदार होंगे। 6550/–रू. के मूलवेतन तक निकास की जाने वाली महंगाई भत्ते की राशि को 75% निष्प्रभावीकरण के आधार पर गणना की गई महंगाई भत्ते की राशि होने पर मूलवेतन के अनुवर्ती चरणों में उसे संरक्षण दिया जाएगा जोकि प्राप्त किए गए मूल वेतन 6550/–रू. से कम है।

(vii) प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि तय किए गए वेतनमान कार्यपालकों/अधिकारियों और असंगठित पर्यवेक्षकों के वर्तमान वर्तमान वेतनमानों से भिन्न न हों।

(viii) निपटान मजदूरी की वैधता अवधि 1.1.2002 से पांच वर्ष के लिए होगी। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के श्रमिकों जिन्होंने तारीख 1.1.1997 से तय वेतनों की पांच वर्ष की अवधि के विकल्प को चुना है, वे आवश्यक रूप से अन्य पांच वर्ष की अवधि (1.1.2002 से 31.12.2006 तक) और जो 10 वर्ष से अधिक न हो, तक प्राप्त करेंगे।

(ix) लोक उद्यमों को अपने लोक उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालय और विभाग की पुष्टि के पश्चात् तय की गई मजदूरी, जिसे कि अनुमोदित मानदंडों के भीतर संशोधित किया गया है, लागू करना चाहिए।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय को उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करें तथा इस संबंध में इस विभाग को भी सूचित करें।

(लोक उद्यम विभाग का 11 फरवरी, 2004 का का.ज्ञा.सं. 2/11/96–लो.उ.वि.(डब्ल्यू सी)–जी एल – I)